

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(परियोजना वर्ग-आर0एस0डी0-5)

उ0प्र0 लो0नि0वि0, लखनऊ

पत्रांक: 38 चेम्प/40पी0जे0(आ0)/आर0एस0डी0-5/2019
सेवा में

दिनांक: 28.03.2020

मुख्य अभियन्ता,

..... क्षेत्र,

लो0नि0वि0,

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-86-नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के नये कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-बृहद् निर्माण कार्य के अन्तर्गत आवंटन।

कोड संख्या 5 0 5 4 0 4 3 3 7 8 6 0 0 2 4

सन्दर्भ-शासनादेश सं0-75/2020/426/23-9-2020-11नाबार्ड(ओडीआर)/2020, दि0 27.03.20 (छायाप्रति संलग्न)

उपरोक्त संदर्भित शासनादेश द्वारा आर0आई0डी0एफ0-25 योजनान्तर्गत प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के कार्यों हेतु रु0 100.00 करोड़ धनराशि के सापेक्ष जनपद सुल्तानपुर के 01 कार्य से रु0 5.9165 करोड़ की धनराशि वापस लेते हुये आर0आई0डी0एफ0-25 योजनान्तर्गत उपरोक्त संदर्भित शासनादेश द्वारा स्वीकृत 18 नये कार्यों की प्रशासनिक अनुमोदन/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये रु0 5.9165 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है। तदनुसार रु0 5.9165 करोड़ (रुपये पाँच करोड़ इक्यान्चवे लाख पैंसठ हजार मात्र) धनराशि का आवंटन निम्नानुसार स्तम्भ संख्या-8 के अनुसार कार्यवार/खण्डवार निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ एतद्वारा किया जाता है।

क्र0 सं0	खण्ड/जनपद	कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0 में)	स्वीकृत लागत (लाख में)	वर्ष 2019-20 में आवंटन
1	2	3	4	5	6
1	आगरा नि0ख0-2	एन0एच0-3 से दिगनेर नहर पदरी गुतिला गुगरीआ मार्ग (अ0जि0मा0) के कि0मी0 1 से 9.400 तक सुदृढ़ीकरण का कार्य	9.400	780.32	32.87
2	अम्बेडकरनगर प्रा0ख0	टाण्डा हंसवर आरोपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	15.800	1851.06	32.87
3	अयोध्या नि0ख0-2	रौजागोव-रुदौली मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	6.000	963.87	32.87
4	बागपत नि0ख0	किशनपुर बराल गांगनौली दोघट पुसार होते हुये बरनावा मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज 11.550 से 23.000 तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	11.450	1915.85	32.87
5	बस्ती प्रा0ख0	महाराजगंज दुबौलिया अशोकपुर मार्ग (कि0मी0 1 से 18) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	18.000	1984.89	32.87
6	बुलन्दशहर नि0ख0-2	स्याना खानपुर मार्ग (अ0जि0मा0) पर कि0मी0 1 से कि0मी0 5 में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	4.375	644.40	32.87
7	गौतमबुद्धनगर प्रा0ख0	छपरौला से बिसरख मार्ग के कि0मी0 1 से 5 (70) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	2.695	590.30	32.87
8	गौतमबुद्धनगर प्रा0ख0	बुजाना -सादुल्लानगर-खेड़ी-दादरी बाईपास तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	12.300	1255.51	32.87
9	उरई प्रा0ख0	उरई कोंध मार्ग (अ0जि0मा0) के कि0मी0 1 से 28 में चौड़ीकरण का कार्य	27.030	1941.40	32.87

551

क्र० सं०	खण्ड/जनपद	कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि०मी० में)	स्वीकृत लागत (लाख में)	वर्ष 2019-20 में आवंटन.
1	2	3	4	5	6
10	प्राणख, जीनपुर	कुत्तपुर तिराहे से कोठवार जंगीपुर राजेपुर इटौरा ब्यार अण्जिमाड का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य	16.950	1644.01	32.87
11	झांसी प्राणख	रूपाधमना बाईपास मार्ग (अण्जिमाड) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	1.850	369.59	32.87
12	कुशीनगर प्राणख	कसया तुर्कपट्टी सेवरही से गुरवलिया दुदही सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	8.650	1632.80	32.87
13	मधुश प्राणख	बन्दावन छटीकरा राधाकुण्ड मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	14.500	2007.35	32.87
14	मिर्जापुर नि०ख०-2	पड़री छीतमपुर शक्तेशगढ़ मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	18.000	2169.81	32.87
15	मिर्जापुर नि०ख०-2	अदलहाट भूइली शेखा सिकन्दरपुर मार्ग के कि०मी० 10.00 से 22.84 तक के भाग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य	12.840	2481.09	32.87
16	मुजफ्फरनगर नि०ख०-1	कूकड़ा मण्डी से भण्डुरा होते हुये कि०मी० 10 तक (मुठनगर जौली बेहड़ा सादात) मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य	10.000	1729.88	32.87
17	रामपुर प्राणख	एन०एच० 87 के कि०मी० 41 से रुद्रपुर बिलासपुर से डिबडिबा मार्ग में चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण	4.450	732.36	32.87
18	ब्रावस्ती प्राणख	मिनगा इकौना मार्ग के कि०मी० 1 से 8 (0.850) तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य।	7.850	1600.00	32.86
योग:-			200.940	26294.49	591.65

- प्रश्नगत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड-6 के अध्याय 12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाक घर/पी०एल०ए०/डिपोजिट खाते में न रखी जाय। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर ही व्यय की जाय।
- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या ए०-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दि० 11.11.2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार लागत का 6.875 प्रतिशत अनुमन्य होगा।
- लेबर सेस 1 प्रतिशत की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- यह सुनिश्चित किया जाय, कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार द्वारा अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
- विभाग द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं पर धनराशि नाबार्ड की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये व्यय की जायेगी तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाय।

55

10. मूल्यहास आरक्षित निधि 1.50 प्रतिशत की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।
11. प्रश्नगत कार्य हेतु आगणन में सम्मिलित जी०एस०टी० की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी।
12. उक्त संदर्भित शासनादेश की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
13. इस आवंटन का उपयोग वित्तीय वर्ष 2019-20 में ही किया जाना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता अपने स्तर से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं एवं अधीक्षण अभियन्ताओं को संलग्न कार्यवार आवंटन एवं शासनादेश के सम्बन्ध में कार्यों के विवरण सहित अवगत कराना सुनिश्चित करें एवं इस आवंटन एवं शासनादेश की एक प्रति अपने स्तर से मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

उपरोक्त आवंटन की प्रविष्टि आवंटन पंजिका 48 के पृष्ठ 44 पर कर ली गयी है।


वित्त नियन्त्रक
उ०प्र०, लो०नि०वि०


28/3/20
(संजय कुमार गौतम)
मुख्य अभियन्ता (मु०-1)
लो०नि०वि०, लखनऊ

पत्रांक: /40पी०जे०(आ०)/आर०एस०डी०-5/2019

दिनांक: .03.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव के निजी सचिव लो०नि०वि० उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, राज्य योजना आयोग-2, उ०प्र शासन लखनऊ।
3. विशेष सचिव लोक निर्माण अनु०-9 उ०प्र शासन लखनऊ।
4. महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ०प्र० इलाहाबाद।

5. वित्त नियन्त्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता उ०प्र० लो०नि०वि० लखनऊ को साख सीमा जारी करने हेतु।


28/3/20
मुख्य अभियन्ता (मु०-1)
लो०नि०वि०, लखनऊ

प्रेषक

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2020

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-58 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर०आई०डी०एफ०-25 योजनान्तर्गत प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, अयोध्या क्षेत्र, लो०नि०वि०, अयोध्या के पत्र संख्या-1852अ०क्षे०/04अ०क्षे०-लेखा/19, दिनांक 12.03.2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपद सुल्तानपुर के 01 कार्य (दुर्गापुर लम्बुआ मार्ग) हेतु बचत की धनराशि रु० 591.65 लाख का समर्पण स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पत्र संख्या-रा०बैं०उ०प्र०क्षे०का०/344/राज्य परियोजना विभाग/आरआईडीएफ-04/आरआई डीएफ-XXV/ 2019-20, दिनांक 23.03.2020 के क्रम में मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लो०नि०वि०, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-58 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर०आई०डी०एफ०-25 योजनान्तर्गत निम्नलिखित सूची में वर्णित विभिन्न जनपदों के कुल 18 प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कुल लम्बाई 200.94 कि०मी०, स्तम्भ-6 के अनुसार कुल लागत रु० 2,62,94,49,000/- (रुपये दो अरब बासठ करोड़ चौरान्नबे लाख उनचास हजार मात्र) (जिसमें 6.875 प्रतिशत अधिष्ठान व्यय, 01 प्रतिशत लेबर सेस, 1.50 प्रतिशत मूल्य हास निधि एवं नियमानुसार जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित हैं), की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष स्तम्भ-7 के अनुसार रु० 5,91,65,000/- (रुपये पांच करोड़ इक्यान्नबे लाख पैंसठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमशः.....

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र० सं०	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	लम्बाई (कि.मी.में)	(धनराशि ₹० लाख में)	
					नाबाई द्वारा अनुमोदित लागत	वर्ष 2019-20 में अवमुक्त धनराशि
1	2	4	5	6	7	8
1	आगरा	एनए एचए 3 से दिगनेर नहर पटरी गुतिला गुगरीया मार्ग के किमी 1 से 9.40 तक सुदृढीकरण का कार्य	अ.जि.मा.	9.40	780.32	32.87
2	अम्बेडकर नगर	टांडा हंसवर आरोपुर मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढीकरण का कार्य	अ.जि.मा.	15.80	1851.06	32.87
3	अयोध्या	रौजागाँव रुदौली मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढीकरण का कार्य	अ.जि.मा.	5.00	963.87	32.87
4	बागपत	किशनपुर बराल गांगनौली दोघट पुसार होते हुए बरनावा मार्ग के चैण 11.55 से 23.00 तक मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण का कार्य	अ.जि.मा.	11.45	1915.85	32.87
5	बस्ती	महाराजगंज दुबौलिया अशोकपुर मार्ग के किमी 1 से 18 तक का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण का कार्य	अ.जि.मा.	18.00	1984.89	32.87
6	बुलंदशहर	स्याना खानपुर मार्ग के किमी 1 से 5 में चौड़ीकरण व सुदृढीकरण का कार्य	अ.जि.मा.	4.375	644.40	32.87
7	गौतमबुद्ध नगर	छपरौला से बिसरख मार्ग के किमी 1 से 5 (700) में चौड़ीकरण व सुदृढीकरण का कार्य	अ.जि.मा.	2.695	590.30	32.87
8	गौतमबुद्ध नगर	दुजाना सादुल्लानगर खेड़ी दादरी बाईपास तक मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढीकरण का कार्य	अ.जि.मा.	12.30	1255.51	32.87
9	जालौन	उरई कोंच मार्ग के किमी 1 से 28 में चौड़ीकरण का कार्य	अ.जि.मा.	27.03	1941.40	32.87
10	जौनपुर	कुतुपुर तिराहे से कोठवार जंगीपुर राजेपुर इटौरा क्यार मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढीकरण का कार्य	अ.जि.मा.	16.95	1644.01	32.87
11	झाँसी	रूपाधमना बाईपास मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण का कार्य	अ.जि.मा.	1.65	369.59	32.87

क्रमशः....

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्र० सं०	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	लम्बाई (कि.मी.में)	नाबार्ड द्वारा अनुमोदित लागत	वर्ष 2019-20 में अवमुक्त धनराशि
1	2	4	5	6	7	8
12	कुशीनगर	कसया तुर्कपट्टी सेवरही से गुरवलिया दुदही मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण का कार्य	अ.जि.मा.	8.65	1632.80	32.87
13	मथुरा	वृन्दावन छटीकरा राधाकुंड मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढीकरण का कार्य	अ.जि.मा.	14.50	2007.35	32.87
14	मिर्जापुर	पडरी छीतमपुर शक्तेशगढ़ मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण का कार्य	अ.जि.मा.	18.00	2169.81	32.87
15	मिर्जापुर	अदलहाट भूइली शेरवा सिकन्दरपुर मार्ग के किमी 10.00 से 22.84 तक के भाग का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण का कार्य	अ.जि.मा.	12.84	2481.09	32.87
16	मुजफ्फर नगर	कूकडा मंडी से भंडूरा होते हुए किमी 10 ;मुजफ्फर नगर जौली बेहड़ा सादातद्ध तक मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण का कार्य	अ.जि.मा.	10.00	1729.88	32.87
17	रामपुर	एनएच 87 के किमी 41 से रुद्रपुर बिलासपुर से डिबडिबा मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण का कार्य	अ.जि.मा.	4.45	732.36	32.87
18	श्रावस्ती	भिनगा इकौना मार्ग के किमी 1 से 8 (850) तक का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण का कार्य	अ.जि.मा.	7.85	1600.00	32.86
कुल योग-				200.94	26294.49	591.65

- (1) प्रश्नगत कार्य करने से पूर्व वितीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वितीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

क्रमशः.....

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीओएलएओ में न रखी जाये। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय किया जायेगा।
- (5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
- (6) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं०-ए-2-23/दस-2011-1 7(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखा शीर्षक "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में जमा की जायेगी।
- (7) लेबर सेस 01 प्रतिशत की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (8) मूल्य हास निधि 1.50 प्रतिशत की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।
- (9) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- (10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्वािरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (11) विभाग द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं पर धनराशि नाबाई की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय की जायेगी तथा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत गुणवत्तायुक्त निर्माण कार्य कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाय।
- (12) प्रश्नगत कार्य हेतु आगणन में सम्मिलित जीओएसटीडी की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगा।
- (13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019- 231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-86-नाबाई वित्त पोषित आरओआईडीओएफ0

क्रमशः.....

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-692/दस-2020, दिनांक 27 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)

विशेष सचिव

संख्या उपरोक्त तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 3- संबंधित जिलाधिकारी ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (मु०-1)/वित्त नियंत्रक, ल०नि०वि०, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
- 6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता।
- 7- लोक निर्माण अनुभाग-10।
- 8- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।